रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-07072020-220398
CG-HR-E-07072020-220398

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]	**नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2020/आषाढ़ 15, 1942**
No. 255]	**NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2020/ASHADHA 15, 1942**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

शुद्धिपत्र

गुड़गाँव, 21 अप्रैल, 2020

सं॰ जेईआरसी-26/2019.—भारत के राजपत्र में दिनांक 13 सितंबर 2019 को प्रकाशित आयोग की अधिसूचना संख्या 319, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में, निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

जे.ई.आर.सी. द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2019 को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियमन, 2019 को अधिसूचित किया है।

उक्त विनियमन में टाइपिंग के कारण उत्पन्न त्रुटि को निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करके संशोधित किया जा रहा है:

i **(हिन्दी संस्करण) पृष्ठ 5 पर; विनियमन 10(1) के प्रथम पैराग्राफ में "के खण्ड (i)" और "लाइसेंसधारी द्वारा" शब्द हटाए जाते हैं तथा उप-विनियम के बाद "1" जोड़ा जाता है।**

तदनुसार, विनियमन 10 (1) को अब निम्न रूप में पढ़ा जाए:

विनियमन 7 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, और वह सामान्यतया 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा जिसे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अधिकतम सीमा के अधीन आयोग के पूर्व अनुमोदन से 3 वर्ष की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकता है।

बशर्ते कि फोरम के स्वतंत्र सदस्य के अलावा, कोई भी सदस्य लाइसेंसधारी अधिकारी के पद पर न रहने के बाद, किसी भी पद पर नहीं रहेगा;

बशर्ते कि फोरम का कोई भी स्वतंत्र सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं करेगा।

इसे माननीय आयोग की मंजूरी द्वारा जारी किया जा रहा है।

राकेश कुमार, सचिव

[**विज्ञापन**-III/4/**असा.**/112/2020-21]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

CORRIGENDUM

Gurugram, the 21st April, 2020

No. JERC-26/2019. —In Notification No. 319, dated 13th September 2019, Extraordinary, Part III, Section 4 of the Commission published in the Gazette of India, the following corrections are made: -

Whereas JERC has notified Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019 on 11th September 2019.

Whereas inadvertent typographic error has cropped up in the said Regulations, which needs to be rectified by issuing the following corrigendum:

i. **At Page 25; Regulation 10 (1) in first paragraph the words "by the licensee" and "Clause (i) of" is hereby deleted.**

Accordingly, this Regulation 10(1) is now to be read as under:

"Every Member to be appointed under sub-regulation (1) of regulation 7, shall be appointed, and shall ordinarily hold office for a period of 3 years which may be extended further for a 3 years term with the prior approval of the Commission subject to the ceiling limit of attaining the age of 65 years.

Provided that no Member, other than the Independent Member of the Forum, shall hold office as such, after he ceases to be the officer of the licensee;

Provided that no Independent Member of the Forum shall hold office as such, after he attains the age of sixty-five years."

This issues with the approval of the Hon'ble Commission.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/EXTY./112/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.07.07 19:04:51 +05'30'